न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 88/2019

जीसीएमएस आईडी :– 2019/00380

1. रणजीत पुत्र बलवन्त बुरिया जाति जाट निवासी 64 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 64 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. अंगद कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी 64 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. महावीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 64 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. लेखराज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी 64 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए(1)आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री परमजीत सिंह मेहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजय धारणियां, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1ता4
3. राजपैरोकार

–:निर्णय:–

दिनांक : 05.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत कृषि भूमि चक 68 आरबी के खाता सं. 109/104 मु.नं. 4 प.नं. 198/264 व मु.नं. 16 प.नं. 199/266 की कुल 2.379है0 भूमि में से 1/11 हिस्सा में पहुंचने के लिए व कृषि यंत्र लाने व ले जाने व फसल लाने हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि चक 68 आरबी के मु.नं. 12 प.नं. 19/265 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व मु.नं. 16 प.नं. 199/266 के कि.नं. 1 व 10 में पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बाबत रास्ता स्वीकृत करने स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थीगण को कोई उजर, एतराज व आपत्ति नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने शपथ पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मु.न. 12 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व मु.नं. 16 के कि.नं. 1 व 10 अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हैं उक्त किलाजात में रणजीत पुत्र बलवन्त प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया हैं यदि उक्त किलाजात में रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई उजर एतराज व आपत्ति नहीं हैं। और न ही अप्रार्थीगण उक्त किलाजात में स्वीकृत रास्ते के बदले में कोई प्रतिकर/क्लेम राशि प्राप्त करना नहीं चाहते।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2019/174 दिनांक 18.02.2020 अनुसार रणजीत पुत्र बलवन्त को अपने खेत में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या चालू रास्ता नहीं हैं। उक्त भूमि पर किसी का विवाद/स्थगन नहीं हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 68 आरबी के मु.नं. 12 प.नं. 19/265 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व मु.नं. 16 प.नं. 199/266 के कि.नं. 1 व 10 में पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि रास्ता स्वीकृति के एवज में अप्रार्थीगण कोई [illegible] नहीं चाहते हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर चक [illegible] तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 प.नं. 19/265 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व मु.नं. 16 [illegible] 6 के कि.नं. 1 व 10 में पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा गैर मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तह[illegible] उक्तानुसार स्वीकृतशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 05.01.2021 को लिख[illegible] जाकर खुले न्यायालय में [illegible] गया।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी राजस्व

रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni

Date: 2021.01.14 16:09:59 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner